



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-22082025-265629
CG-CG-E-22082025-265629

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3731]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 21, 2025/श्रावण 30, 1947

No. 3731]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 21, 2025/SHRAVANA 30, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेलव)
अधिसूचना

बिलासपुर, 14 अगस्त, 2025

का.आ. 3836(अ).—केंद्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989, (1989 का 24) की धारा 2 के खण्ड (37 ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक उद्देश्य से राष्ट्रीय अवसंरचना मुहैया कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित निम्नलिखित परियोजना को अधिसूचित करती है जो कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

सारणी

क्रम.सं.	परियोजना का नाम
(1)	(2)
1.	“दगोरी से निपनिया चौथी लाईन (6.86 कि.मी.)”

[फा. सं. —डी.सी.ई-II/कॉन/आर/चौथी लाईन/ दगोरी —निपनिया/37ए]

आलोक तिवारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(S.E.C. Railway)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 14th August, 2025

S.O. 3836(E)—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies the following project as mentioned in Column (2) of the table below as Special Railway Project in the state of Chhattisgarh for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Sl. No.	Name of Project
(1)	(2)
1.	“Dagori to Nipania 4 th line (6.86 Km)”

[F. No. -DCE-II/Con/R/4th line/Dagori - Nipania/37A]

ALOK TIWARI, Chief Administrative Officer